पत्रांक –3/एम०–42/2019सा0प्र0 15582

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
पुलिस महानिदेशक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 22-8 2025

विषय– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 में निहित प्रावधान के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित चालक, मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, नन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक के मानदेय/पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं एवं नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। उक्त संकल्प की कंडिका–4.(3)(I) में ऐसे संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है। अतः यह कार्रवाई सामान्यतया प्रशासी विभाग द्वारा ही की जानी है।

3. परन्तु संविदा पर नियोजित चालक, मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, नन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक सभी विभागों में पदस्थापित हैं। अतः प्रत्येक विभाग में संविदा नियोजित

चालक, मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, नन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक के मानदेय निर्धारण/पुनरीक्षण में एकरूपता बनाये रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से ही अपेक्षित कार्रवाई करने की अनुशंसा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी थी।

4. उक्त निर्णय के आलोक में–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–10378 दिनांक–04.07.2024 द्वारा चालक, मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी तथा नन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी के मानदेय का पुनरीक्षण निम्नवत् किया गया था–

(क) चालक का मानदेय –रु॰ 25000/– प्रतिमाह;
(ख) मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी –रु॰ 22000/– प्रतिमाह; एवं
(ग) नॉन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी–रु॰ 20000/– प्रतिमाह।

उपरोक्त निर्धारित मानदेय नवम्बर, 2023 से प्रभावी है।

(ii) पुनः परिपत्र संख्या–455 दिनांक–09.01.2025 द्वारा आशुलिपिक/आशुटंकक तथा निम्नवर्गीय लिपिक के मानदेय का भी पुनरीक्षण निम्नवत् संसूचित किया गया था–

(क) आशुलिपिक/आशुटंकक–रु॰30000/–प्रतिमाह
(दिनांक–08.09.2023 के प्रभाव से);
(ख) निम्नवर्गीय लिपिक–रु॰25000/–प्रतिमाह
(दिनांक–01.12.2024 के प्रभाव से)।

5. उक्त संदर्भ में पुनः विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक–20.08.2025 को सम्पन्न बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक–15535 दिनांक–21.08.2025 द्वारा संसूचित है, में की गयी अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 के प्रावधानों के तहत सभी विभागों/कार्यालयों में संविदा नियोजित पद यथा– चालक, मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, नन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का मानदेय दिनांक–01.07.2025 के प्रभाव से निम्नवत् पुनर्निर्धारित किया जाता है–

क्र॰ सं॰	संविदा नियोजित पद	बिहार के अन्दर	नई दिल्ली के लिए
(1)	चालक	35,500	37,500
(2)	मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी	32,500	–
(3)	नन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी	28,500	–
(4)	आशुलिपिक/आशुटंकक	45,500	–
(5)	निम्नवर्गीय लिपिक	35,500	–

6. अतः अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत संविदा नियोजित चालक, मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, नन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का मानदेय शीघ्र तद्नुसार पुनरीक्षित किया जाय।

विश्वासभाजन,

Rajendra 21.8.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0–42/2019सा०प्र०\5589/ **दिनांक** 22.8.25

प्रतिलिपि–(1) संयुक्त सचिव (प्रभारी स्थापना शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 21.8.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।